संख्या-3/2016/725/31-2016-65/2013

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ।0प्र0
2- समस्त जिलाधिकारी, उ।0प्र0
3- समस्त पुलिस महानिरीक्षक (जोन), उ।0प्र0
4- समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक (परिक्षेत्र), उ ।0प्र0
5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकपुलिस अधीक्षक/, उ।0प्र0

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, **लखनऊः दिनांकः 15 मार्च, 2016**

विषयः- कानून-व्यवस्था की समीक्षा एवं विकास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण तथा स्थलीय निरीक्षण किया जाना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के माध्यम से जन कल्याणकारी एवं विकास योजनायें संचालित की जा रही है। प्रदेश सरकार ने गांव, गरीब, किसान, छात्र-नौजवान, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, मजदूरों सहित सभी वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए कदम उठाए हैं तथा राज्य सरकार प्रदेश के समाज के प्रत्येक वर्ग की तरक्की के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए तथा सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने हेतु पारदर्शी व्यवस्था बनायी गई है जिसके फलस्वरूप इन योजनाओं से ग्राम स्तर तक बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ व्यापक पैमाने पर समाज के गरीब, पिछड़े एवं गरीब वर्गो तक पहुँचाना सुनिश्चित करने तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनका प्रभावी अनुश्रवण तथा स्थलीय निरीक्षण किया जाना है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में शान्ति एवं सामाजिक सद्भावना तथा जनमानस में सुरक्षा की भावना का वातावरण कायम रखने तथा असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर कानून व्यवस्था की भी समीक्षा हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जाना है।

जन कल्याणकारी/विकास योजनाओं का समयबद्ध एवं पूर्ण क्रियान्वयन, उनका लाभ जनता तक पहुंचाने तथा समाज में भयमुक्त समाज की स्थापना हेतु कानून व्यवस्था की समीक्षा/विकास कार्यक्रमों का स्थलीय निरीक्षण माह अप्रैल, 2016 से प्रत्येक माह निम्नानुसार सुनिश्चित की जायः-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	प्रतिमाह स्थलीय निरीक्षण के लक्ष्य	
1	मण्डलायुक्त	1	प्रतिमाह मण्डल मुख्यालय को छोड़कर अपने मण्डल के न्यूनतम दो जनपदों के विकास कार्यों की समीक्षा एवं एक-एक ग्राम सभाओं का निरीक्षण करेंगे।
		2	निरीक्षण के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा के अलावा उस ग्रामसभा से संबंधित तहसील दिवस व समाधान दिवस में दी गई शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करेंगे।
2	जिलाधिकारी/ वरिष्ठ	1	प्रतिमाह दोनों अधिकारी साथ-साथ न्यूनतम 03 ग्रामसभाओं का निरीक्षण करेंगे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक		एवं ग्रामीण जनता से भेंटकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करायेंगे।
		2	निरीक्षण के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा के अलावा उस ग्रामभा से संबंधित तहसील दिवस व समाधान दिवस में दी गई शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करेंगे।
		3	जिलाधिकारी न्यूनतम दो जनपदीय कार्यालय/तहसील व अन्य विकास विभागों का भी निरीक्षण करेंगे।
3	अपर जिलाधिकारी /अपर पुलिस अधीक्षक		अलग-अलग थाना क्षेत्रों की न्यूनतम 03 ग्राम सभाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा मौके पर जनसुनवाई कर प्राप्त समस्याओं का निस्तारण करायेंगे।
4	मुख्य विकास अधिकारी		प्रतिमाह न्यूनतम 04 कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण में उन कार्यालयों को प्राथमिकता देंगे जिनके जनपदीय कार्यालय विकास भवन से अन्यत्र हैं।
5	उपजिलाधिकारी / पुलिस क्षेत्राधिकारी		उपजिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी साथ-साथ प्रतिमाह अपने तहसील/क्षेत्र के अन्तर्गत यथासम्भव अलग-अलग विकासखण्ड के न्यूनतम उन 04 गांवों का निरीक्षण करेंगे, जहां से तहसील दिवस एवं समाधान दिवस में सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हों। शिकायतों का निस्तारण समाधान दिवस संबंधी शासनादेश दिनांक 14 जून, 2014 एवं 09 दिसम्बर, 2014 के प्रस्तर-3 के बिन्दु-4 एवं 5 में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेंगे।
6	परियोजना निदेशक /जिला विकास अधिकारी		प्रतिमाह जनपद के न्यूनतम दो विकासखण्डों एवं दो कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण आख्या मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
7	नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी	1	प्रतिमाह न्यूनतम चार जोन/वार्डों का निरीक्षण कर जनता की समस्याओं जैसे- बिजली, सड़क, पानी इत्यादि के त्वरित निस्तारण हेतु कार्यवाही करेंगे।
		2	जनपद स्तर पर स्थानीय निकाय के प्रभारी अधिकारी माह में न्यूनतम 02 स्थानीय निकायों में स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण के दौरान प्राप्त समस्याओं का निस्तारण करायेंगे।
		3	यदि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के पास प्रभार है तो उनके द्वारा नामित अधिकारी उपरोक्तानुसार कार्यवाही करेंगे।
8	पुलिस महानिरीक्षक		प्रतिमाह अपने जोन में मुख्यालय को छोड़कर न्यूनतम दो जनपद में कानून व्यवस्था की समीक्षा तथा तहसील दिवस एवं समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा समाधान दिवस संबंधी शासनादेश दिनांक 14 जून, 2014 एवं 09 दिसम्बर, 2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9	पुलिस उपमहानिरीक्षक		मुख्यालय को छोड़कर न्यूनतम दो जनपदों के समाधान-दिवस में अलग-अलग दिन सम्मिलित होकर जन सुनवाई कर मौके पर ही समस्याओं के निस्तारण तथा समाधान दिवस संबंधी शासनादेश दिनांक 14 जून, 2014 एवं 09 दिसम्बर, 2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्व से तहसील दिवस/समाधान दिवस में प्राप्त हुई शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करेंगे।
10	मुख्य चिकित्साधिकारी		प्रतिमाह न्यूनतम 02 एएनएम सेण्टर, 02 वीएचएनडी तथा 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा 02 सी0एच0सी0 का निरीक्षण करेंगे।
1	जिला पूर्ति अधिकारी		प्रतिमाह प्रत्येक विकास खण्ड की न्यूनतम 02 राशन वितरण दुकानों का निरीक्षण करेंगे।
12	मण्डल/जनपद स्तरीय अन्य अधिकारी	1	मण्डल स्तरीय अधिकारी प्रतिमाह अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जनपद में न्यूनतम एक स्थलीय निरीक्षण तथा जनपद स्तरीय अधिकारी अपने जनपद में न्यूनतम 04 स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण के पूर्व संबंधित जनपद के जिला सूचना अधिकारी व सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

1- जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यह निरीक्षण जन सुनवाई (प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक) तथा राजस्व न्यायालय के समय न किया जाय।

2- निरीक्षण हेतु उन ग्रामसभाओं को चयन में प्राथमिकता दी जाय, जहां कोई निरीक्षण न हुआ हो एवं जिन ग्रामसभाओं से तहसील/समाधान दिवस में सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हों।

3- ग्रामसभाओं के चयन के सम्बन्ध में निरीक्षण के तीन दिन पूर्व जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाय ताकि जनता को निरीक्षण के सम्बन्ध में समय रहते सूचित किया जा सके।

4- इस सम्बन्ध में मण्डल तथा जनपद स्तर पर प्रभारी अधिकारी नामित किया जाय, जो इन निरीक्षणों के प्रचार-प्रसार एवं निरीक्षण के दौरान जनता द्वारा बतायी गई समस्याओं की मानीटरिंग करेंगे। जिन समस्याओं के निस्तारण हेतु शासन स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित है, उन प्रकरणों में जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त शासन स्तर से पैरवीकर निराकरण सुनिश्चित कराएगें।

   अ- जनपद स्तर के अधिकारी किये गये निरीक्षण का संक्षिप्त विवरण जनपद स्तर पर नामित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे (संलग्नक-एक)।

   ब- मण्डल स्तर के विभागीय अधिकारी किये गये निरीक्षण का संक्षिप्त विवरण मण्डल स्तर पर नामित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे (संलग्नक-दो)।

   स- जिलाधिकारी प्रत्येक माह एक संक्षिप्त रिपोर्ट मण्डलायुक्त को प्रेषित करेंगे (संलग्नक-तीन)।

   द- मण्डलायुक्त प्रत्येक माह मण्डल स्तरीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का अलग-अलग संक्षिप्त विवरण प्रमुख सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन को प्रेषित करेंगे (संलग्नक-चार एवं पांच)।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने वाले ग्रामों की जानकारी प्राप्त कर निरीक्षण से एक दिन पूर्व एक वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेंगे। इस स्वास्थ्य शिविर के नोडल अधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित चिकित्साधिकारी होंगे, जो प्रातः 10.00 बजे स्वास्थ्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शिविर का उद्घाटन करेंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्साधिकारी किसी भी दशा में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्साधिकारी से कनिष्ठ नहीं होंगे।

6- पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षणों का विवरण प्राप्त कर परीक्षण करेंगे।

7- जनपदों के भ्रमण हेतु शासन स्तर के नामित अधिकारीगण भी आवंटित जनपद में प्रतिमाह एक ग्राम सभा का स्थलीय निरीक्षण अवश्य करेंगे।

इन भ्रमण आख्याओं को शीध्र ही कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने की व्यवस्था की जाएगी।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
ह0/-
(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-3/2016/725(1)/31-2016-65/2013-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(आलोक कुमार)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-एक

सांकेतिक प्रारूप

जनपद स्तर पर नामित अधिकारी

.....

क्र0	विभाग का नाम	निरीक्षण का दिनांक	स्थल का नाम
1			
2			
3			
4			
5			

माह .....में जनपद में कुल निरीक्षण की संख्या..... है।

जनपद स्तर के विभागीय अधिकारी

.....

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक- दो

सांकेतिक प्रारूप

मण्डल स्तर पर नामित अधिकारी

.....

क्र0	विभाग का नाम	निरीक्षण का दिनांक	स्थल का नाम
1			
2			
3			
4			
5			

माह .....में मण्डल में कुल निरीक्षण की संख्या..... है।

मण्डल स्तर के विभागीय अधिकारी

.....

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक- तीन

सांकेतिक प्रारूप

मण्डलायुक्त

.....

क्र0	विभाग का नाम	निरीक्षण का दिनांक	स्थल का नाम
1			
2			
3			
4			
5			

माह .....में जनपद में कुल निरीक्षण की संख्या..... है।

जिलाधिकारी

.....

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-चार

सांकेतिक प्रारूप

प्रमुख सचिव,
कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

1- जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों का विवरण-:

क्र0	**विभाग/अधिकारी का नाम**	**निरीक्षण स्थल/जनपद का नाम**	**निरीक्षण की संख्या**
1			
2			
3			
4			
5			

माह .....में जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा किये गये कुल निरीक्षण की संख्या..... है।

मण्डलायुक्त

.....

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-पांच

सांकेतिक प्रारूप

प्रमुख सचिव,
कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

2- विभिन्न विभागों के मण्डल स्तरीय अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का विवरणः-

क्र0	**विभाग/अधिकारी का नाम**	**निरीक्षण स्थल/जनपद का नाम**	**निरीक्षण की संख्या**
1			
2			
3			
4			
5			

माह .....में मण्डल स्तरीय अधिकारियों द्वारा किये गये कुल निरीक्षण की संख्या..... है।

मण्डलायुक्त

.....

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-एक

सांकेतिक प्रारूप

क्र० सं०	अधिकारी	निरीक्षण का दिनांक	गांव / ग्राम / विभाग / प्रोजेक्ट / वार्ड / थाना
1	मण्डलायुक्त	1. 2. 3. 4. 5.	1- जनपद 2- विभाग 3- निरीक्षण की संख्या
2.	पुलिस महानिरीक्षक	1. 2. 3. 4. 5.	1-क ख ग थाना 2-च छ ज थाना 3-त थ द थाना
3	मुख्य विकास अधिकारी	1. 2. 3. 4. 5.	
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1. 2. 3 4. 5.	1-सी.एच.सी. क ख ग 2-पी.एच.सी. च छ ज 3-सब सेन्टर क च छ 4-वी.एच.एन.डी.....

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।